बस्वर व तारीख अहकाम जो इस केस की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, बिजयनगर

राजस्व वाद पत्र सं0 20/2012

1. श्री जंवरमल पुत्र श्री राजमल जी नाई
2. श्री गंगा उर्फ मांगी पत्नी श्री सुवालाल जी नाई
3. श्रीमती सीता पत्नी स्व0 श्री देवा जी नाई
4. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री देवा जी नाई (नाबालिग)
5. श्री ज्ञानचन्द पुत्र स्व0 श्री देवा जी नाई (नाबालिग)

वादी सं0 4 व 5 नाबालिग जरिये माता श्रीमती सीता पत्नी देवा जी नाई
समस्त वादीगण जाति नाई एवं निवासी ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

बालू आदेश दिनांक 30-1-17 की पालना में 25

1. मिठू पुत्र बाबू जी नाई निवासी जालिया द्वितीय जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, बिजयनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर।

—— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:— निर्णय :—

दिनांक 01.06.2016

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नं0 4814 रकबा 02—07—10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या मिठू वल्द बालू उर्फ लालूराम नाई निवासी भंवर बाडी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर खुदकाश्त से खातेदार था उसने अपनी इस आराजी के अपने खातेदारी एवं हक हकूक वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 से 5 के पूर्वज स्व0 श्री सुवालाल पुत्र रामा जी नाई को दिनांक 25.10.1979 को बेचान कर बेचान दस्तावेज की उप पंजीयक ब्यावर के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्ट्री करवा दी थी तब से स्व0 सुवालाल जी विवादित आराजी पर काबिज काश्त रहे तथा उनके मरणोपरान्त से वादीगण विवादित आराजी में काबिज काश्त चले आते है। जिस बाबत् कोई विवाद नहीं है स्व0 सुवालाल जी खरीद रोज से विवादित आराजी अपनी खातेदारी मानते हुए काश्त करते रहे लेकिन वादीगण ने जब विवादित आराजी की नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि वर्तमान में भी विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 मीठू के नाम चली आ रही है । क्रेता स्व0 श्री सुवालाल के वारिसान में श्रीमती गंगा उर्फ मांगी एवं उनका पुत्र देवा हुआ। देवा का भी निधन हो चुका है उसके वारिसान वादी संख्या 3 से 5 है । क्रेता स्व0 श्री सुवालाल एवं उनके वारिसान का विवादित आराजी में खरीद रोज से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व संबंधी जानकारी के अभाव में विवादित आराजी स्व0 सुवालाल एवं वादीगण के नाम नहीं लगाई जा सकी है जबकि वे इसमें खातेदारी पाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी को उनके नाम लगवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया है अतः वाद लगने की आवश्यकता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डीक्री करवा कर विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम लगवाने की कृपा करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है जिसके बावजूद सम्मन तामीली के दिनांक 21.03.2013 को उपस्थित

रहने से एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है । प्रतिवादी संख्या 1 ने एक तरफा कार्यवाही के विरूद्ध अभिलेखानुसार आदिनांक चारा जोई नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 राज्य सरकार के नुमायन्दे है, जिन्हें आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जाना पाया जाता है ।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प जालिया द्वितीय पर जलसाए आम में पेश होने पर पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई वादीगण के अभिभाषक एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पैरोकार उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 446 की आराजी खसरा न0 4814 रकबा 02–07–10 प्रतिवादी मिठू वल्द बालू कौम नाई की खातेदारी में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय दस्तावेज के अनुसार खातेदार, मिठू ने इसे दिनांक 25.10.1979 की वादीगण के पूर्वज सुवालाल वल्द रामा व वादी संख्या 1 जंवरमल वल्द राजमल जाति नाई निवासी जालिया द्वितीय को बिल एवज प्रतिफल राशि बेचने का निष्पादन उप पंजीयक ब्यावर के समक्ष स्वीकार किया है। इस दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक, ब्यावर के कार्यालय की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1118 में पृष्ठ संख्या 47 से 52 पर क्रम संख्या 2727 से किया गया है ।

दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि विवादित आराजी वादी संख्या 1 व वादीगण सं 2 से 5 के पूर्वज स्वं. सुवालाल वल्द रामा नाई द्वारा बिल एवज प्रतिफल खरीद की है ऐसी स्थिति में वादीगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि वे खरीदरोज से इसमें काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 मीठू के अनुपस्थित रहने एवं कोई उजर नहीं करने से भी इसकी पुष्टि होती है जहां तक प्रश्न विक्रय पत्र दिनांक 25.10.1979 में विक्रेता मिठू लाल वल्द लालू राम का है और जमाबंदी में मिठूलाल वल्द बालू अंकित है वह बोल चाल की भाषा में मिठू की वल्दियत लालूराम से चली आने के कारण दस्तावेज में यह तफावत होना पाया जाता है जो सामान्यतः हो जाता है। जिस बाबत् उपस्थित पैरोकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने कोई एतराज नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विस्तार से विवेचन करने पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है ।

बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर मौजा जालिया द्वितीय स्थित आराजी खसरा संख्या 4814 रकबा 02–07–10 किस्म भूमि चा. 1 में वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 5 को संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख ग्राम जालिया द्वितीय के खाता सं 446 में मिठू वल्द बालू कौम नाई के स्थान पर वादीगण के नाम का जरिये नामान्त करण अमल करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बिजयगनगर यथानुसार की पालना करावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलांदी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम जालिया द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बिजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 13:51:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: